संख्या-04/2016/846/86-2016-187/2014

प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय- खजिन भवन में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3319/अनुरक्षण(सी0सी0टी0वी0)/2015-16, दिनांक 19.02.2016 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के लेखाशीर्षक'' 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें -0401-एक मुश्त व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 204.00 लाख के सापेक्ष निम्न कार्य हेतु 09.91 लाख (रूपये नौ लाख इक्यान्बे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0 स0	स्वीकृत कार्य योजना	कार्यदायी संस्था जिसे धनराशि आवंटित की जानी है।	स्वीकृत/ अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये में)
1	खजिन भवन में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	9,91,000/-

उक्त धनराशि निम्न शर्तो के तहत आहरित/व्यय की जायेगी।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों/मशीनों के क्रय में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(2) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय किये जा रहें उपकरणों/मशीनों गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

(3) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत व्यय के फलस्रूप किसी भी प्रकार की क्रय की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(4) क्रय किये जा रहें उपकरणों/मशीनों के सापेक्ष भुगतान तभी किया जायेगा जब क्रय की गयी वस्तु की आपूर्ति निर्धारित मानक के यप में सुनिश्चित हो जायेगी।

(5) किसी भी स्थिति में स्वीकृति धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नही किया जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपरेक्त कार्यों पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक ''4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401- एक मुश्त व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.05.2015 के प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-846(1)/86-2016 तददिनांक -:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0प्र0 कानपुर।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in